<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– प्रदीपसिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 24 / 2019 (राजसमन्द डिक्री)</u>

लाला पिता नुरा जी मेहरात, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

............ अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. अमरसिंह पिता गाजीसिंह रावत, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. माधुसिंह पिता गाजीसिंह रावत, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती गुलाबी पत्नी गाजीसिंह रावत, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
4. भगवानसिंह पिता पूना उर्फ पूनमसिंह, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
5. श्रीमती गंगा पत्नी पूना उर्फ पूनमसिंह, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
6. लक्ष्मणसिंह पिता कोडा उर्फ मोडसिंह रावत (मृतक) के बजाय :–

6 / 1. विक्रमसिंह पिता लक्ष्मणसिंह रावत, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

6 / 2. नेनूसिंह पिता लक्ष्मणसिंह रावत, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

6 / 3. श्रीमती मीरा पत्नी लक्ष्मणसिंह रावत, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

6 / 4. श्रीमती जनता पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह रावत, निवासी सरवीना, तहसील व्यावर, जिला अजमेर (राज.)

6 / 5. श्रीमती कंकु पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी महावीरसिंह रावत, निवासी जीवाणा, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested

6/6. श्रीमती संतोष पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी जयसिंह रावत, निवासी जीवाणा, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर (राज.)

6/7. श्रीमती मंजु पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी प्रेमसिंह रावत, निवासी रातडीया रेलडा, तहसील जैतारण, जिला पाली (राज.)

6/8. श्रीमती सुनीता पुत्री लक्ष्मणसिंह पत्नी महेन्द्रसिंह रावत, निवासी जीवाणा, तहसील विजयनगर, जिला अजमेर (राज.)

7. राज्य जरिये तहसीलदार, भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भीम दिनांक
08.07.2015 प्रकरण संख्या 65/2013

———/———

उपस्थित :– 1– श्री श्याम सुन्दर पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुनील बोहरा अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 से 3

———::———

**निर्णय** **दिनांक 21–08–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 5 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खेडी का खेडा, तहसील भीम में आराजी नंबर 53, 60, 134, 135, 136, 167, 179, 182, 183, 184, 255 कुल किता 11 रकबा 21 बीघा 12 बिस्वा 5 विश्वासी भूमि स्थित है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्से का खातेदार लक्ष्मणसिंह है, किन्तु अभी जुलाई में खसरा नंबर 167 का 1/3 हिस्सा अर्थात 14 बिस्वा भूमि का बेचान कर देने से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम नामान्तरकरण संख्या 397 खुल चुका है, इसलिए उन्हें पक्षकार बनाया है। उक्त भूमि में वादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा तथा वादी संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वादी संख्या 1 से 3 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 4 व 5 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/3 हिस्सा पृथक से अंकित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में खकर अपने निर्णय दिनांक 08–07–2015 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–06–2019 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील बोहरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त डिक्री जारी करने से पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्ध जारी डिक्री का कोई महत्व नहीं है एवं ऐसी डिक्री की कोई समय सीमा नहीं होती है, इसे कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है। उक्त निर्णय व डिक्री को उन्हें पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, दिनांक 16–05–2019 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता के जरिये नकल निकलवाई तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपीलान्ट को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी शुरू से ही थी, फिर भी अपील करीब 4 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की है एवं इसके लिए कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं बताया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय का सम्मन अपीलान्ट लाला स्वयं ने प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में उसका यह कथन कि दिनांक 16–05–2019 को अपने अधिवक्ता के जरिये नकल निकलवाई तो उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई, उचित प्रकट नहीं होता है। अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 08–07–2015 के विरूद्ध [illegible] दिनांक 04–06–2019 को प्रस्तुत की है, जबकि [illegible] अर्थात दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested

07–09–2015 तक ही थी। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 3 वर्ष 9 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में बताये हैं, वह न तो उचित प्रकट होता है एवं न ही इतने अधिक विलम्ब के लिए उसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 08–07–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 21–08–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

**(प्रदीपसिंह सांगावत)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीपसिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

| | | |
|---|---|---|
| **लाला पिता नुरा जी मेहरात, निवासी खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला जिला राजसमन्द** | बनाम | **अमरसिंह पिता गाजीसिंह रावत, नि0 खेडी का खेडा, तहसील भीम, जिला जिला राजसमन्द व अन्य** |

अपील नं.....**24 / 2019**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**भीम**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**....08**.....माह.....**07**.....**2015**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**21**....माह.....**08**....सन् **2024** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी...**श्री श्याम सुन्दर पालीवाल**...मिनजानिब अपीलान्ट व....**श्री सुनील बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 08–07–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**21**.....माह.....**08**.....**2024** को जारी किया गया।

(प्रदीपसिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:52:31 IST
Reason: SelfAttested